संख्या- 33 /2018/373/22-4-18-48(110)/15टीसी

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 21 मार्च, 2018

विषय- जनपद ललितपुर में 4500 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5593/नम-1/154, दिनांक 12 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद ललितपुर में 4500 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण हेतु ग्राम-बुढ़वार, परगना व तहसील-ललितपुर की कुल 100 एकड़ भूमि में से 51.835 एकड़ कृषकों की भूमि क्रय करने हेतु शासनादेश संख्या-78/2017/944/22-4-17-48(110)/15, दिनांक 04.12.2017 द्वारा रू0 11,49,69,168/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 9,55,16,000/- लाख एवं संशोधित शासनादेश दिनांक 12.12.2017 द्वारा रू0 9,55,15,530/- (रूपया नौ करोड़ पचपन लाख पन्द्रह हजार पॉच सौ तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद ललितपुर में 4500 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1,94,53,638/-(रूपया एक करोड़ चौरान्नवे लाख तिरपन हजार छः सौ अड़तिस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों/शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत भूमि क्रय किये जाने हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 04.12.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-00-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-09-नवसृजित जनपदों में कारागारों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए एक मुश्त व्यवस्थ -24-वृहत् निर्माण कार्य" मद में पुनर्विनियोग (प्रति संलग्न) के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-**33**/2018/373(1)/22-4-2018-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, ललितपुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in